Working of the Mid-day Meal Scheme

*83. DR. MANMOHAN SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any survey of the working of the Mid-day Meal Scheme for school children launched by Government in 1995;

(b) if so, what are the findings of this survey report; and

(c) what measures are being taken to plug the loopholes and deficiencies in implementation of the scheme as revealed by the survey report?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) An evaluation has been undertaken in 10 States to assess the efficiency and effectiveness of the National Programme for Nutritional Support to Primary Education (Mid-Day Meals Scheme) by an independent agency, Operation Research Group, New Delhi. The study covers Assam, Gujarat, Haryana, Jammu & Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. The report was submitted in September, 1999. The findings of the report state that while the programme has given boost to enrolment in Assam, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal; in 6 other States it has had positive impact on attendance and retention.

Besides, a study conducted by NCERT on States policies on Incentive Schemes in Primary Schools and their Contribution to Girls' Participation, completed in April, 2000, also covers the Mid-day Meal Scheme in Uttar Pradesh and Tamil Nadu. The report states that the Noon Meal Scheme of Tamil Nadu and supply of food-grains under MDM in Uttar Pradesh have helped improve the enrolment and retention of girls in schools.

Based on the suggestions of the report and other feedback received from time to time, the Government has taken steps to improve the monitoring and supervision of the programme at all levels, create a greater awareness regarding the programme through involvement of Village Education Committees, streamline procedures so as to ensure regular supply of food-grains and timely reimbursement of transportation charges and payment to Food Corporation of India and ensure a more rigorous role for the nodal agency for programme implementation at the State level.

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, my first supplementary is: Would the hon. Minister be kind enough to let us know the Budget provision and the actual expenditure on this scheme since its inception in 1995-96?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Well, last time we spent about Rs. 1,500 crores. ...(*Interruptions*)...

DR. MANMOHAN SINGH: That is the Budget provision for the current year. I would like to know it year-wise, from the year 1995-96 when this scheme was launched. What has been the year-wise actual expenditure on this scheme as against the Budget provision since 1995-96?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I will give that. In the year 1995-96, the total estimate was Rs. 611 crores and the expenditure was Rs. 441 crores. In the year 1996-97, the Budget estimate was Rs. 1400 crores the revised estimate was Rs. 800 crores and the expenditure was Rs. 800 crores. In the year 1997-98, the Budget estimate was Rs. 960 crores, the revised estimate was Rs. 1070 crores and the expenditure was Rs. 1070 crores. In the year 1998-99, the Budget estimate was 1092 crores, and the revised estimate was Rs. 1400 crores and the expenditure was Rs. 1600 crores. In the year 1999-2000, the Budget estimate was Rs. 1031 crores, the revised estimate was Rs. 1500 crores and the expenditure was Rs. 1500 crores.

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, the report of the ORG, as reported in the newspapers, bring out that many parents are not aware of the existance of this scheme and at least one-fourth of the children of those surveyed 7000 cases did not receive the grains

to which they were entitled. If so, what is the Government planning to plug these loopholes?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: इस संबंध में मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की रहती है कि वह इनको ठीक से क्रियान्वित करें। कुछ राज्यों में जहां तैयार खाना दिया जाता है वहां यह समस्या नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों में जहां अनाज का वितरण किया जाता है वहां यह समस्या आती है। इसके कई कारण होते हैं क्योंकि नियंत्रण और नियमन गांव सभाओं के द्वारा भी अब कराया जा रहा है और राज्य सरकारों के द्वारा भी कराया जा रहा है। कई स्थानों पर विद्यालय ठीक से नहीं चलते हैं। उसके कारण भी लोगों को पता नहीं चलता है। कुछ दूरदराज़ के इलाके हैं, वहां तक लोगों को सूचना नहीं मिल पाती है क्योंकि हार्डहिट एरियाज़ होते हैं जहां स्वयं अभिभावकों को पेरेंट्स को भी शिक्षा के बारे में ज्ञान नहीं होता, उन्हें पता नहीं चलता है। लेकिन यह देखा गया है इस स्कीम की जानकारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उसका बहुत लाभ हमें मिल रहा है। स्थान-स्थान पर इसके कारण से इनरोलमेंट में बहुत वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए हम समझते हैं कि जो कुछ कमियां हैं, धीरे-धीरे दूर हो जाएंगी और जिन राज्यों में यह कमियां हैं, उनसे बराबर निरंतर संपर्क हम रखते हैं, उन्हें पत्र भी लिखे हैं, बताया भी है, अफसरों को भी भेज रहे हैं, स्टडी भी करा रहे हैं। हमारी कोशिश यह है कि इस स्कीम को और अधिक सुदृढ़ करें। हम आशा करते हैं कि एक दो साल में और अधिक अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि इसके कारण आसाम में इनरोलमेंट में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मध्य प्रदेश में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है और पश्चिमी बंगाल में 22 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे यह पता चलता है कि यह स्कीम लोकप्रिय है। इतने बड़े देश में जहां 20—22 करोड़ विद्यार्थियों का सवाल है, जहां करोड़ों विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर 7, 8 या 10 हजार लोगों को खबर नहीं मिली है तो यह बहुत ज्यादा कमी नहीं है। फिर भी इसको दूर किया जाएगा।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 45 कहता है provision for free and compulsory education for children. यही कारण है कि जब हमारा संविधान बना था तो उस वक्त ऐसा वादा किया गया था कि 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी और एक नवभारत का निर्माण किया जाएगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख कर मिड-डे मील का यह प्रावधान रखा गया क्योंकि स्कूलों में ड्रॉप आऊट बहुत ज्यादा हो रहे थे। स्कूलों में बच्चे नहीं जाते थे क्योंकि गरीब मां बाप यह सोचते हैं (व्यवधान)

श्री सभापति: आप सवाल कीजिये। यह प्वाइंट तो सब ने कह दिया है।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: मैं सवाल कर रहा हूं।

श्री सभापतिः यह रेपीटेशन है।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालियाः मां बाप यह सोचते हैं कि गरीब का बच्चा दो रुपये कमा कर भी आए तब भी खा लेगा। इसलिए स्कूल में मिड-डे मील का प्रावधान रखा गया।

MR. CHAIRMAN: It is taken for granted.

श्री एस॰एस॰ अहलुवालियाः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सारे भारत का इन्होंने बताया कि संख्या बढ़ रही है, खास कर के बिहार और पश्चिमी बंगाल में मिड़-डे मील की क्या अवस्था है, वहां किस तरह से लागू हुई है। वहां जितने बच्चों की आप आशा करते थे और वहां 6 से 14 साल के बच्चे जिनको आना चाहिये, उनकी पापुलेशन कितनी है कितने आपके स्कूलों में आ रहे हैं?

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः सभापति महोदय, हमारे पास सारे देश की संख्या रहती है। हर राज्य की संख्या कई बार आने में देर लगती है, कई राज्यों से आंकड़े मिलने में बहुत विलम्ब हो जाता है। (व्यवधान) ब्रेक-अप भी हमारे पास कभी-कभी आता है कभी नहीं आता है। इस वक्त हमारे देश में करीब-करीब प्राथमिक शिक्षा में 9.90 करोड़ बच्चे स्कूलों में हैं और इसी तरह से यह कुल संख्या जिनको स्कूल में आना चाहिए वह 20 करोड़ है। 14 करोड़ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में शामिल हैं और 6 करोड़ के लिए हमें अभी प्रबंध करना है। इसमें से अधिकांश प्रबंध बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में करना है।

†**मौलाना अबैदुल्ला खान आज़मीः** सर, मैं एक सिंपल सा सवाल करना चाहता हूं। बच्चों को जो खाने को मिल रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है और वह मिल भी रहा है क्वालिटी के लिहाज़ से या कागज़ पर उसकी भर्ती कर के लोगों ने पैसा कमाने का ज़रिया बना लिया है। कुछ दिन पहले हमें यह पढ़ने को मिला था कि कुछ बच्चों को जो ब्रेड वगैरह मिले वह सड़े-गले थे जिसकी वजह से कुछ बच्चों की तबियत खराब हुई। खाना उन्हें पढ़ने और जीने के लिए दिया जा रहा है या उनके नाम पर दूसरे लोग अपना पेट भर कर इस पॉलिसी को पूरा कर रहे हैं, सरकार इस सिलसिले में बताए तो ज्यादा बेहतर होगा?

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः सभापति महोदय, हमारी स्कीम के अंतर्गत तैयार खाना दिया जाएगा जो खाने के लिए तैयार हो या अनाज दिया जाएगा। किसी राज्य में अगर डबल रोटी या कोई और चीज़ दी गई तो यह हमारी स्कीम के प्रावधान के अंतर्गत नहीं था। लेकिन अब उन राज्यों ने

---

†Transiliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

भी अनाज ले कर के ठीक ढंग से व्यवस्था शुरू की है। शिकायत आपने दिल्ली राज्य के संबंध में की है लेकिन उन्होंने अब अपनी स्कीम में परिवर्तन किया है और हम आशा करते हैं कि यह सुधार वह कर लेंगे।

DR. SHANKAR ROY CHOWDHURY: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has said that the figures of enrolment in various States have increased as a result of provision of Mid-day Meal Scheme. It is a very good sign. The Scheme is working well. But, what I would like to know from the hon. Minister is, whether there is any check on the schools where such meals are being provided and, where the children come to schools basically becuase of the meal, weather those schools have the provision to teach the children. Sir, most of the schools, as you know and as the hon. Minister is also aware, are in a great state of despair. There are no teachers. So, the children come merely to have their meal and go back to their homes. I would like to know from the hon. Minister whether he can tell us that the Mid-day Meal Scheme is merely to attract the children for mid-day meal or are they being taught by teachers.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन, जो विभिन्न एजेंसियों ने रिपोर्ट्स दी हैं, जिन्होंने इसका सर्वेक्षण किया है, उन्होंने यह बताया है कि इसके कारण स्कूलों की अटेंडेंस भी बढ़ी है और चूंकि इस खाद्य वितरण का काम जहां "तैयार खाना" दिया जाता है, वहां का अध्यापक ही करता है इसलिए वहां अध्यापन भी होता है। अब जहां पंचायती राज संस्थाएं काम कर रही हैं, वहां ग्राम्य शिक्षा संस्थाओं, विलेज एजूकेशन सोसाइटीज को यह काम दिया गयां है और बहुत से स्थानों में जहां इस प्रकार की त्रुटियां पायी जा रही थीं उनका निवारण भी किया जा रहा है। जहां स्कूलों में अध्यापकों की कमी थी हमने पैसे दिए हैं कि और अध्यापकों को नियुक्त किया जाए और यह पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि ये अध्यापक वहां पढ़ाएं। लेकिन इसकी मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। केन्द्र सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि वह हर गांव में जाकर इसका विचार कर सके। लेकिन अगर सम्माननीय सदस्य के पास कोई ऐसे स्पेसिफिक केसेज हैं तो हमें बताएं, हम उनके बारे में अवश्य जानकारी करवाएंगे।

SHRI S.B. CHAVAN: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister, while replying to the question, has said that there are two ways in which the Scheme is being operated. The first one is, the cooked food should be served in the schools and the second one is the distribution of foodgrains. I think, this is a basic departure from the

original Scheme that was envisaged. Actually, the whole concept was to serve cooked meal in the school so that the children are attracted and nutritious food, which otherwise is not available, is available to the children. If you just give foodgrains, they may, either be distributed or not distributed. Or, sometimes, with temptation, the foodgrains that are being given are sold to others. If the nutritious food and the kind of attraction, which was provided under the Cooked Meal Scheme, are not being given, the idea itself is defeated. If the basic idea itself has undergone a change, certainly, we would like to know what exactly is the reason for this kind of a departure. The normal tendency, now-a-days, we find is — I happened to be the Chairman of the Standing Committee on H.R.D, we have also given, after full deliberations, a Report — to go in more for distribution of foodgrains rather than providing to children the cooked food. Sir, instead of trying to persuade the State Government to provide nutritious cooked food, why is it that we are now, ourselves, saying that the other option is available which defeats the very purpose for which the Scheme has been started? May I have an explanation from the hon. Minister on this?

डा० मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन, "तैयार खाना" बनाने के लिए जो पैसा लगता है उसकी मात्रा बहुत अधिक है जैसे पांडिचेरी ने कहा कि 2.80 रुपये प्रतिदिन एक छात्र के ऊपर "तैयार खाना" बनाने में खर्च होता है। गुजरात में 1.75 रुपये होता है। इसी तरह से कुछ राज्यों में एक रुपये और उसके अधिक है। तो यह कास्ट बहुत अधिक बैठती है उन राज्यों के लिए। वे इसको कर नहीं सकते हैं। उनके सामने आर्थिक संकट है। अधिक पैसे चाहिएं। आज भी हमारी प्राइमरी एजूकेशन का 50 प्रतिशत पैसा केवल मिड-डे मील के ऊपर खर्च हो रहा है और इसमें अधिक बजट की आवश्यकता है। अगर अधिक पैसा मिलेगा तो यह "तैयार खाना" भी कराया जा सकता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि खाना तैयार होना चाहिए और मैं साइंस एण्ड टेक्नालाजी का भी काम देखता हूं। इसलिए हमने बायो टेक्नालाजी विभाग से इस बारे में चर्चा की कि वे क्या कुछ ऐसा "तैयार खाने" की स्कीम बना सकते हैं कि जो कम दाम में हम चाहें तो लोगों को दे सकें और उन्होंने इस बारे में एक स्कीम बनाई है जो चार प्रकार के "तैयार खाने" बना सकती है। और इनका दाम दो रुपये से पांच रुपये प्रति दिन प्रति पैकेट आएगा। अगर ज्यादा मिकदार में ये खानें बनेंगे तो ये दाम दो रुपये, तीन रुपये प्रति पैकेट तक आ जायेंगे। इसमें चार सौ कैलोरी की ऊर्जा होगी और जितने भी न्यूट्रीशन हैं, अन्य मिनरल्ज़ और अन्य चीजें जो चाहिएं हेमोग्लोबिन वगैरह बनाने के लिए, वे भी उसमें शामिल होंगी। हमने

अभी इसका एक पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के हिल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए तैयार किया है, क्योंकि खाने को पहुंचाने के लिए रिमोट कॉर्नर्स में ही सब से अधिक तकलीफ आती है। इरादा यह है कि नॉर्थ-ईस्ट में और हिमाचल तथा जम्मू-कश्मीर में भी हम इस प्रकार के पायलट प्रोजैक्ट्स चला कर देखेंगे। यह अध्ययन अगर सफल हुआ तो हम यह कोशिश करेंगे कि व्यापक पैमाने पर, मास स्केल पर इस तैयार खाने को अधिक देर तक रखा सके और जिसकी न्यूट्रीशन वैल्यू भी बरकरार रहे, वह महीने, दो महीने, तीन महीने तक भी खराब न हो और उसकी शैल्फ लाइफ हो। इसका प्रयोग हम कर रहे हैं और इरादा यही है कि बच्चों को तैयार खाना रेडी टू ईट वही मिले। अगर वह प्रयोग सफल हुआ तो बहुत जल्दी अगले वर्ष तक हम इसमें जाने की कोशिश करेंगे।

SHRI N.K. PREMCHANDARAN: Sir, the Mid-day Meal Scheme is being effectively implemented in Kerala. It is being managed by a committee of the Parent-Teacher Association. It is functioning very effectively in almost all the Schools. The PTA is providing all the amenities for cooking. But the main difficulty which is being faced by them is, there is no provision for meeting the expenses towards firewood and such other things. This is a recurring expenditure. So, most of the Head Masters are reluctant to continue with this scheme because the burden of cost of cooking falls on them. So, I would like to know from the hon. Minister whether this lacuna would be rectified by making a provision to meet the cooking expenses. Will he provide additional funds for this purpose?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मैंने इसका पहले ही उत्तर दिया कि बहुत अधिक मूल्य है, बहुत अधिक दाम है और आज की स्थिति में उसको मुहैया कराना, उसको उपलब्ध कराना कठिन है। राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है और हम जितनी अधिक मात्रा में पैसा दे रहे हैं, अनाज का पैसा दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चॉर्जेज दे रहे हैं, अगर सारा पैसा ट्रांसपोर्टेशन चॉर्जेज और कुकिंग में ही चला जाएगा तो वाकई जो खाना है वह नहीं मिलेगा। इसलिए हमने यह सोचा है कि इस डिफैक्ट को दूर करने के लिए रेडी टू ईट पैकैट्स बनवाए जाएं ताकि यह बर्डन उनके ऊपर न पड़े। यह प्रयोग हम कर रहे हैं। यह अगर सफल होगा तो निश्चित रूप से कठिनाई दूर हो जाएगी।

श्रीमती सविता झारदा: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं वैसे तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी यही सब कुछ कहा है और मंत्री जी ने भी उसके जवाब दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहती हूं कि जो भी मध्याह्न भोजन की

व्यवस्था है वह काफी हद तक खराब है, क्योंकि मैं काफी जगह खुद देखने के लिए गई हूं। जहां मैंने यह पाया है कि बच्चों के लिए भोजन में जो पौष्टिकता होनी चाहिए वह नहीं होती है। दूसरा यह है कि बच्चों की रुचि का भोजन नहीं होता है। मैंने खुद सर्वे किया है कि और बच्चों से पूछा है कि बच्चो तुम्हें खाना कैसा मिलता है। वे कहते है, मैडम, भोजन खाकर मजा नहीं आता। कई बच्चे तो ऐसे है कि घर से ही खाकर जाते हैं। जबकि सरकार की तरफ से पूरे स्कूल के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। लेकिन उसमें से 50 परसेंट बच्चे भी खाना नहीं खाते हैं। वह वेस्ट हो जाता है। अभी मंत्री महोदय ने रेडी पैकेट्स के बारे में कहा है । मान लीजिए 50 बच्चों की व्यवस्था की है। 25 बच्चे नहीं खाते हैं। 10 बच्चे एब्सेंट होते हैं। अब जो पैकेट्स बचे रहते हैं वे दूसरे दिन उन बच्चों को दिए जाते हैं। इससे भी बच्चों की सेहत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें ताकि बच्चे उसमें सिर्फ खाने के लिए पढ़ने नहीं जाएं, पढ़ना उनकी रुचि के अनुसार हो यह अलग बात है, लेकिन खाना उनकी रुचि के अनुसार हो, क्योंकि एज के हिसाब से रुचि भी अलग-अलग तरह की होती है। अब एक ही प्रकार से रोज़ उनको खिचड़ी दी जाए, रोज़ बाजरे की रोटी दी जाए तो वह नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि बच्चों की अवस्था के अनुसार उनकी रुचि को देखते हुए अगर भोजन दें तो ज्यादा अच्छा होगा और उनकी संख्या भी अधिक होगी?

डा० मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन, बहुत ही आकर्षक बात कही गई है, लेकिन हमारा उद्देश्य लोगों को केवल रुचिकर और स्वस्थ भोजन देना नहीं है, पौष्टिक भोजन देना है और इसके लिए कोशिश यह है कि उससे उसको पोषण मिले। यह संभव नहीं हो सकता कि हर दिन खाना बदलकर दिया जाए क्योंकि अनाज, या तो गेहूं दिया जाएगा या चावल दिया जाएगा, से बहुत सीमित मात्रा में चीजें बन सकती हैं और उसी के अंदर, उसी दायरे में वे चीजें बनेंगी। इसलिए हमने यह कोशिश की है कि यह जो रेडी टू ईट पैकेट्स बनेंगे, इनमें भिन्न-भिन्न प्रकार की चीजें बन सकती हैं, वैराइटी बन सकती है और चार वैराइटीज़ अभी उसमें हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें दो मीठी भी है, नमकीन भी है, चिक्की के पैकेट्स भी बनेंगे ताकि बच्चों में कम से कम यह एक रुचि लगी रहे। लेकिन बहुत ज्यादा वैराइटी, घर के खाने की तरह से वैराइटी नहीं बन सकती, यह संभव भी नहीं है। स्कीम का उद्देश्य यह है कि बच्चों को पोषण मिले क्योंकि पोषण और शिक्षा दोनों सीधे जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा अगर ठीक रहेगी तो आगे आने वाला देश ठीक रहेगा। तो इसमें मुख्य ध्यान इस बात पर है कि उनको ठीक पोषण मिले और उस खाने में उतनी कैलोरीज़ और न्यूट्रिशन वैल्यू हो जितनी उन्हें चाहिए। टेस्ट के बारे में हम कोशिश कर सकते हैं कि वह एक हद तक अच्छा हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे देखें कि वे कितनी वैराइटीज़ और विविधताएं इसमें ला सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि वे उतने पैसे के अंदर, जितना उनको आवंटित है, काम करें।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: सभापति महोदय, अभी यहां पर पोषाहार का विषय चल रहा है और हमने कई बार स्कूलों में जा-जा कर बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार के बारे में जांच की है और यह पाया है कि एक तो पोषाहार नियमित रूप से नहीं दिया जाता है। यह मैं राजस्थान की बात बता रही हूं कि वहां दो-दो / तीन-तीन महीने तक बच्चों को पोषाहार का वितरण नहीं किया जाता और कागजों में उसकी पूर्ति होती रहती है, इसमें एक सबसे बड़ी कमी यह है और अगर उनको पोषाहार दिया जाता है तो राजस्थान में दलिया और एक तेल दिया जाता है। मैंने उस दलिये को कई बार चैक किया तो पाया कि उसमें काले-काले कीड़े होते है ज़हरीली (लटें) होती हैं, जिनको खाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है मैंने उस पोषाहार में उन छोटे कीड़ों को पाया। ऐसा पोषाहार अगर हम बच्चों को देंगे तो उस पोषाहार से बच्चे स्वस्थ होने की बजाए बीमारी की तरफ बढ़ेंगे। मंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनके पास हो सकता है कि पैसा न हो लेकिन केन्द्र सरकार ने इसके लिए जो स्कीमें बनाई हैं और वह जो सहायता देती है, वह उनका विस्तार करे और अगर यह कर ही नहीं सकते तो मैं समझती हूं कि पोषाहार देने की बनिस्बत अच्छा यह होगा कि हम ये स्कीमें ही बंद कर दें क्योंकि इस तरह से हम उन गरीबों के बच्चों को मौत के मुंह में जाने से तो बचा पाएंगे। तो इस पोषाहार के मसले की बहुत गहराई से जांच कराई जानी चाहिए। मैं किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं कहूंगी और न मैं किसी पर छींटाकशी कर रही हूं, यह पूरे देश का मुद्दा है और इसका पूरे देश के बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर इसके ऊपर आप ध्यान दें तो अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा० मुरली मनोहर जोशी: मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि वहां पोषाहार ठीक से दिया जाए और यदि उसमें किसी प्रकार की ऐसी वस्तुएं हों जो खाने के लिए अयोग्य हों, वे न पाई जाएं। अगर किसी अन्य राज्य के लिए मेरे पास ऐसी शिकायत आएगी तो उसकी भी जांच कराई जाएगी।

श्री गांधी आज़ाद: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि इस योजना के अंतर्गत छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम से पूर्व अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालय में जाते थे और इस योजना ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: मैंने यह प्रश्न चीफ मिनिस्टर पर बात छोड़ने के लिए नहीं किया था, अगर इसे आप हल कर सकते हैं तो स्वयं करिए।

श्री सभापति: आप गांधी आज़ाद जी की बात तो सुन लेने दीजिए। आप बोलिए गांधी आज़ाद जी।

श्री गांधी आज़ाद: महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम से पूर्व अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालय में जाते थे और इस योजना के बाद उनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में 1994 और 1997 के बीच में इस योजना के कारण छात्रों की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उनमें अधिकांश परिगणित जाति और जनजाति के बच्चे हैं क्योंकि यह स्कीम जिन स्थानों पर चलती है देहातों में, गांवों में, विद्यालयों में, वहां इनकी संख्या अधिक है, इसलिए उन्हीं बच्चों को इससे ज्यादा लाभ हुआ है। निश्चित आंकड़े हम राज्य सरकार से मंगाने की कोशिश करेंगे। अगर माननीय सदस्य इसके लिए सैपरेट नोटिस देंगे तो उनको हम अवश्य वह जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

श्री राजीव शुक्ला: मान्यवर, यह देखा गया है कि इस तरह की स्कीम्स बड़ी अच्छी नीयत से शुरू की जाती हैं लेकिन कोई मॉनीटरिंग सिस्टम न होने से इनमें जरूरत से ज्यादा पिलफरेज शुरू हो जाता है और इस वजह से क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। कई जगह तो मिड-डे-मील्स में पिलफरेज के बारे में इतनी शिकायतें हैं कि पूछिए मत। मैं उदाहरण देता हूं। आपकी कई ऐसी स्कीमें हैं जैसे ऐडल्ट एजुकेशन स्कीम है। मेरी इतनी उम्र हो गई लेकिन आज तक मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो ऐडल्ट एजुकेशन के द्वारा शिक्षित हुआ हो। मुझे ऐसा एक भी आदमी आज तक नहीं मिला लेकिन सैकड़ों करोड़ों रुपए इस योजना पर बरबाद हो गए। अगर इस तरह की स्कीम्स में मॉनीटरिंग सिस्टम सही है तो पता चलता है की कौन चोरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या व्यवस्था मंत्री जी ने की है?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, हमारी मॉनीटरिंग व्यवस्था तो 2 स्तरों पर रहती है इसके नीचे हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब हमने यह प्रयास किया है कि हरेक जिला मजिस्ट्रेट से हम यह प्रमाणपत्र लेते हैं कि इस स्कीम के तहत जो अनाज दिया गया उसका किस प्रकार से उपयोग हुआ, कितना अनाज गया, कितना खर्च हुआ। जब प्रदेश से ये सूचनाएं आ जाती हैं, उसके बाद ही हम प्रदेश को और धनराशि देते हैं। इस तरह की हम कोशिश करते हैं। जैसा मैंने बताया कि इसके क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हम अपने क्षेत्रीय अफसरों को वहां भेजते हैं, उनसे सैंपल सर्वे कराते हैं। अभी जैसे हमने ओ०आर०जी० की रिपोर्ट करवाई, उनसे कहा गया कि ऐसेसमेंट कीजिए। इस प्रकार से मॉनीटरिंग हम करते हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार प्रत्येक गांव में जाकर मॉनीटरिंग करे या प्रत्येक ब्लॉक में जाकर मॉनीटरिंग करे, यह संभव नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस स्कीम को अधिक से अधिक सुदृढ़ किया जाए और कारगर बनाया जाए।

सभापति महोदय, हम राज्य सरकारों से निरंतर संपर्क करते रहते है और मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते है। पिछले साल में हमने कुल 3 बार उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मेरे पास तीनों पत्र मौजूद है, मैं इन्हें पढ़कर सुना सकता हूं। हमारे अफसर वहां जा रहे है, क्षेत्रिय अफसर नियुक्त किए गए हैं जो वहां जाकर अध्ययन करते हैं लेकिन हर गांव में जाना या हर ब्लॉक में जाकर मॉनीटरिंग करना, यह केन्द्रीय सरकार के लिए संभव नहीं है। इसमें राज्य सरकारों के सहयोग की जरूरत पड़ती है।

श्री सी०एम० इब्राहीम: जहां तक पौष्टिक आहार का सवाल है, आप मटन और चिकन तो देंगे नहीं। कम से कम क्या अंडा इंट्रोड्यूस करेंगे?

डा० मुरली मनोहर जोशी: महोदय, अभी तक इस स्कीम में गेहूं और चावल देने के अलावा और कोई प्रावधान नहीं है और अंडा और चिकन देने के लिए किसी कमेटी की तरफ से कोई सुझाव नहीं आया है। किसी राज्य सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है। अगर माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई सुझाव है, तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Now, next Question; Question No. 84. Shri Ananta Sethi.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Sir, Question Nos. 84 and 90 can be clubbed.

MR. CHAIRMAN: Okay, Question Nos. 84 and 90 will be clubbed.

Death of tigers in Nandankanan

£*84. SHRI ANANTA SETHI:†
SHRI AMAR SINGH:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the number of tigers killed in Nandankanan Zoo during this month;

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ananta Sethi.
£ Question Nos. 84 and 90 were taken together.